संख्या-20/2015/वे0आ0-2-301/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2015**

विषय- उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव/अपर निजी सचिव सेवा संवर्ग में नए पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव/अपर निजी सचिव सेवा संवर्ग में नए पदों के सृजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 मार्च, 2015 को सम्पन्न हुई बैठक में विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" उ0प्र0 सचिवालय में अपर निजी सचिव वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 के 75 पद सृजित किये जाये। "

2- मुख्य सचिव समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त तथा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्रावली के उद्धरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जारी होने वाले शासनादेश की एक प्रति लेखा संवर्ग वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या- 20/2015/वे0आ0-2-301(1)/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।